न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या 43/2019 (2019/00214)

प्रार्थीगण

ओमप्रकाश दाँतीवाड़ा पुत्र मांगीलाल, जाति सैन, उम्र 69 वर्ष, निवासी ग्राम दाँतीवाड़ा, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

बद्रीदास पुत्र स्व0 घमण्डीदास, कौम साद, निवासी दाँतीवाड़ा (मूल आवंटी) के कायम मुकाम :–

1. ढगलदास पुत्र स्व0 बद्रीदास
2. सम्पतदास पुत्र स्व0 बद्रीदास
3. मंगलदास पुत्र स्व0 बद्रीदास
4. सुगनदास पुत्र स्व0 बद्रीदास
5. सीता पत्नी स्व0 बद्रीदास

सभी जातियान जाट, निवासी ग्राम दाँतीवाड़ा, तहसील व जिला जोधपुर।

6. तहसीलदार जोधपुर।

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 की धारा 14 उप धारा 4 के तहत तत्कालीन तहसीलदार, जोधपुर के आवंटन आदेश क्रमांकः/राजस्व/कोर्ट/मांग/कॉपी/78/89 दिनांक 31.08.1978 व नामान्तरकरण संख्या 419 दिनांक 31.08.1978 को निरस्त करने बाबत्।

– – –

उपस्थिति

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री छोटूसिंह सोढ़ा (अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 तक)।

–: आदेश :– **दिनांक 27.04.2022**

श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक/कोर्ट/डीएम/19/1820 दिनांक 18.10.2019 की अनुपालना में राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। जिसे पंजीबद्ध कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री छोटूसिंह सोढ़ा ने वकालतनामा पेश किया। मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के अभिभाषक की गुणागुण पर बहस दिनांक 29.03.2022 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:19:35 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त में राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजियात खेत खसरा नं0 445 रकबा 2.15 बीघा किस्म बारानी द्वितीय वाकै मौजा दाँतीवाड़ा की है। परचा खतौनी मौजा दाँतीवाड़ा परगना जोधपुर संवत् 2007 से सन् 1951 के अनुसार मौजा दाँतीवाड़ा का उक्त खसरा पड़त कदमी बारानी II मकबूजा जागीर अंकित है। खतौनी बन्दोबस्त गांव दाँतीवाड़ा तहसील व जिला जोधपुर संवत् 2011 से 2030 तक उक्त खसरा बारानी II पड़त कदमी मकबूजा जागीर अंकित है। जमाबन्दी (खेवट खतौनी) ग्राम दांतीवाड़ा संवत् 2029 से 2032 तक उक्त खसरा किस्म बारानी II (अ) नवीन पड़त या एक वर्षीय पड़त अंकित है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि उक्त मूल आवंटी का उक्त खसरे पर कभी भी गैर खातेदार की हैसियत से कब्जा काश्त नहीं रहा है और न ही उक्त मूल आवंटी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण दर्ज किया जाकर सीधे ही उक्त मूल आवंटी को संवत् 2034 सन् 1978 दिनांक 31.08.1978 को खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 419 दर्ज किया गया, जो कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 14 आवंटन की शर्तों के विरूद्ध दर्ज किया गया जो निरस्त योग्य है।

प्रार्थी ने राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र में आगे बतलाया कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 की धारा 14 के अन्तर्गत आवंटन की शर्ते (1) इन नियमों के अधीन भूमि का आवंटन 10 वर्षों के पश्चात अन्ततः खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के अधिकार के साथ गैर खातेदारी पर होगा बशर्तें की आवंटी इस कालावधि के दौरान जब तक खातेदारी आसामी के समस्त अधिकारों एवं दायित्वों के अधीन होगा। उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 4 के तहत उपखण्ड अधिकारी द्वारा या तहसीलदार द्वारा निरसन नियम 21 के नियमों के अधीन किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्व–प्रस्ताव से या किसी व्यक्ति के आवेदन पत्र पर रद्द करने की जिला कलेक्टर को शक्ति होगी, यदि आवंटन कपट या द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्ध किया गया हो। उपरोक्त कृषि भूमि का आवंटी को बिना कब्जा काश्त एवं बगैर खातेदारी का नामान्तरकरण दर्ज किये एवं राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियमों की बगैर शर्तों की पालना किये विधि विरूद्ध सीधा खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 419 स्वीकृत कर दिया जो खारिज योग्य है।

प्रार्थी ने फॉर्म नं0 3 के साथ मौजा दांतीवाड़ा के नामान्तरकरण संख्या 419 की प्रमाणित प्रतिलिपि, परचा खतौनी संवत् 2007 से सन् 1951, खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2011 से 2030 तक, जमाबन्दी संवत् 2025 से 2028 तक व जमाबन्दी संवत् 2029 से 2032 तक प्रमाणित प्रतिलिपियों की फोटोप्रति पेश की।

अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के अधिवक्ता श्री छोटू सिंह सोढ़ा ने दिनांक 01.02.2022 को जवाब प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 उपधारा 4 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर बतलाया कि मौजा दांतीवाड़ा स्थित खसरा संख्या 445 की रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि उत्तरदाता/ अप्रार्थीगण के पति/ पिता श्री बद्रीदास की आवंटनसुदा है। [illegible] वत् 2024 से 2034 तक अप्रार्थी के पति/पिता का निरन्तर [illegible] तथा समय–समय पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:19:35 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व विभाग द्वारा उनके विरूद्ध धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही अमल में लाई जाकर नोटिस जारी किये गये। उक्त खसरा की गिरदावरी सम्वत् 2023–2024 में श्री बद्रीदास द्वारा काश्त कर विभिन्न फसल (बाजरी, मूंग, तिल) लिया जाना अंकित है तथा उसमें उनको बतौर अतिक्रमी होना दर्ज किया हुआ है। इसी प्रकार विक्रम संवत् 2028 से 2032 के गिरदावरी में भी उनके द्वारा बाजरी की फसल लिया जाना दर्शाया हुआ है, विक्रम संवत् 2033 से 2037 की भी खसरा गिरदावरी में उक्त भूमि पर अप्रार्थी उत्तरदाता के पति/पिता द्वारा फसल लिया जाना व बतौर खातेदार उन्हें भूमि पर काबिज होना अंकित किया हआ है। उक्त भूमि पर लगातार काबिज काश्त होने के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 की धारा 14 के अन्तर्गत विगत दस वर्षों से भी अधिक अवधि से भूमि पर काबिज काश्त होने के आधार पर बद्रीदास पुत्र घमण्डीदास को खसरा संख्या 445 की रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि आवंटित की गयी। उसके बाद उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख में उनका नाम दर्ज कर खातेदारी जारी की गयी। बद्रीदास के फौतेदगी के बाद उक्त भूमि मुतालिक अप्रार्थीगण/उत्तरदाता के नाम से फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज हुआ तथा वर्तमान में अप्रार्थीगण/उत्तरादाता उक्त खसरा की भूमि पर बिना किसी अवरोध व बाधा के काबिज काश्त है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण के नलकूप वगैरा बने हुए है व रहवासीय ठांव बने हुए है जिसमें कृषि विद्युत कनेक्शन भी अप्रार्थी संख्या 02 के नाम से लिया हुआ है। उक्त भूमि मुतालिक धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के नोटिस, खसरा गिरदावरी, जमाबन्दी एवं विद्युत बिल की प्रतियाँ की।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि उक्त खसरा बद्रीदास को आवंटन से पूर्व अवश्य ही पड़त कदमी मकबूजा जागीर अंकित रहा लेकिन बाद में धारा 91 की कार्यवाही के तहत निरन्तर उक्त भूमि पर काश्त करते रहने से बद्रीदास को उक्त भूमि नियमानुसार आवंटित की गयी जिसका राजस्व रिकॉर्ड में भी अमल–दरामद किया हुआ है जिस पर आज भी अप्रार्थीगण बतौर काश्तकार काबिज चले आ रहे है। प्रार्थी का उक्त कथन पूर्ण रूप से गलत है कि अप्रार्थीगण के पिता/पति उक्त भूमि पर काबिज नहीं है जबकि खसरा गिरदावरी विक्रम संवत् 2033 से 2037 में बद्रीदास को खातेदार के रूप में उक्त भूमि पर काबिज काश्त होना दर्शाता है। तदनुसार ही उक्त भूमि का नियमानुसार आवंटन कर नामान्तरकरण दर्ज कर खातेदारी कायम की गयी जो किसी भी दृष्टि से कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 14 के विरूद्ध नहीं है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में यह कही नहीं बतलाया कि उक्त भूमि से उसका क्या संबंध है अथवा उसके क्या हित प्रभावी हो रहे है? प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना–पत्र केवल और केवल अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से पेश किया है जो खारिज योग्य है।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने जवाब में आगे बतलाया कि अप्रार्थीगण/उत्तरदाता के पिता/पति उक्त खसरा की भूमि पर 10 वर्षो से अधिक समय से काबिज काश्त कर रहे है और उनके उक्त कदीमी कब्जा के आधार पर ही नियमानुसार भूमि आवंटित कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद किया गया जिस पर वर्तमान में भी उत्तरदाता बतौर खातेदार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:19:35 IST
Reason: SelfAttested

काबिज काश्त है इसलिए उक्त आवंटन को प्रार्थी निरस्त करने का कतई अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री छोटूसिंह सोड़ा ने फॉर्म नं0 03 के साथ गिरदावरी, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा दिनांक 17.09.77 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अधीन नोटिस की छायाप्रति पेश की। फॉर्म नं0 03 के साथ खसरा संख्या 445 की जगह खसरा संख्या 429 का गैर खातेदारी का नामान्तरकरण पेश किया।

प्रार्थी ने दिनांक 15.02.2022 को जवाबवुल जवाब पेश कर बतलाया कि आवंटी को भूमि आवंटन हेतु राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 के अन्तर्गत निम्न शर्तों की पालना करनी होती है :–

> नियम 14. (i) इन नियमों के अधीन भूमि का आवंटन 10 वर्षों के पश्चात् अन्ततः खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के अधिकार के साथ गैर खातेदारी पर होगा बशर्ते कि आवंटी इस कालावधि के दौरान जब तक खातेदारी अधिकार प्रदान न कर दिये जाए, आवंटन के निबन्धन एवं शर्तें पूरी करे। आवंटी काश्तकारी अधिनियम के अधीन गैर खातेदारी आसामी के समस्त अधिकारों एवं दायित्वों के अधीन होगा, जहां तक सम्भव हो आवंटित की जाने वाली भूमि असिंचित भूमि की 2 हैक्टर से कम नहीं होगी।
>
> नियम 13. आवंटन सलाहकार समिति के परामर्श से किया जाना :– समस्त आवंटन उपखण्ड अधिकारी द्वारा सलाहकार समिति के परामर्श से किया जायेगा जिसमें निम्न सदस्य होगे।
>
> 1. राजस्थान विधानसभा का वह सदस्य जिस के निर्वाचन क्षेत्र में वह भूमि स्थित है।
> 2. अधिकारिता रखने वाली पंचायत समिति का प्रधान।
> 3. अधिकारिता रखने वाली ग्राम पंचायत का सरपंच।
> 4. अधिकारिता रखने वाली पंचायत समिति का विकास अधिकारी।
> 5. अधिकारिता रखने वाली तहसील का तहसीलदार।
> 6. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति जो पंचायत समिति द्वारा अपने सदस्यों में से नाम निर्दिष्ट किया जायेगा
> 7. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति जिनका मनोनयन राज्य सरकार के हित में आवश्यक समझे।

प्रस्तुत प्रकरण में आवंटी द्वारा उक्त आवंटन की एक भी शर्त की पालना नहीं की गई और न ही उक्त आवंटन आवंटी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा फॉर्म नं0 03 के साथ खसरा संख्या 445 की जगह अन्य खसरा संख्या 429 के गैर खातेदारी का नामान्तरकरण प्रस्तुत किया गया जबकि खसरा संख्या 445 के आवंटन को न्यायालय में चुनौती दी गई है। अतः विधि विरूद्ध आवंटन को खारिज करने का आदेश फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। तहसीलदार जोधपुर के आदेश दिनांक 31.6.16 की अनुपालना में नामान्तरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:19:35 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 419 दिनांक 31.08.1978 स्वीकर करने के पश्चात् करीब 41 वर्ष पश्चात् प्रार्थीपक्ष द्वारा राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से पुष्टि होती है कि ग्राम दांतीवाड़ा की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2021 से 2024 के अनुसार खसरा नं0 445 भूमि पर काश्त होने की प्रविष्टि है तथा अतिक्रमी के रूप में बद्रीदास का नाम अंकित है, इसी प्रकार खसरा गिरदावरी सम्वत् 2025 से 2028 में काश्त किया जाना इन्द्राज है तथा अतिक्रमी के रूप में बद्रीदास का नाम भी दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2029 से 2032, 2033 से 2036 एवं 2037 से 2040 में भी काश्त होना इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीपक्ष ने जवाब में बतलाया है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के क्या अधिकार व हित प्रभावित हो रहे ? प्रार्थी ने नहीं बतलाया है अर्थात् प्रार्थी का इस प्रकरण में Locus Standi क्या है? प्रार्थना–पत्र में स्पष्ट भी नहीं किया है। प्रार्थी पक्ष ने तहसीलदार जोधपुर के अपीलाधीन आदेश क्रमांक 89 दिनांक 31.8.1978 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की। अतः मूल आदेश क्या है, उसका अध्ययन किये बिना नियम 14(4) के तहत सुनवाई करना भी उचित नहीं है। प्रार्थीपक्ष का प्रार्थना–पत्र में मुख्य कथन यह है कि राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 की धारा 14 के आवंटन शर्त (1) 10 वर्षों के पश्चात् अन्ततः खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है अतः अप्रार्थीपक्ष के पूर्व पुरूष बद्रीदास का कभी भी गैर खातेदार के रूप में कब्जा नहीं रहा है और न ही गैर खातेदारी का नामान्तरकरण दर्ज किया था। यह है कि तहसीलदार जोधपुर का आदेश किस आधार पर दिया गया, आदेश प्रति की अनुपलब्धता के कारण किसी उचित नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है। चूंकि विवादित भूमि की किस्म वक्त सेटलमेन्ट में बारानी दोयम है अर्थात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि भी नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार तहसीलदार जोधपुर के आदेश क्रमांक 89 दिनांक 31.08.1978 की प्रति प्रस्तुत नहीं करने से, विवादित भूमि धारा 16 के तहत प्रतिबंधित नहीं होने तथा आदेश के 41 वर्ष अतिविलम्ब पश्चात् राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 (4) का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने से पोषणीय नहीं है। विवादित भूमि पर अगर प्रार्थी के हित प्रभावित होते है तो वे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतन्त्र है। परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ मूल नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 27.04.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:19:35 IST
Reason: SelfAttested

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।